



राजस्थान सरकार
कार्मिक(क-1) विभाग

क्रमांक प.5(04)कार्मिक/क-1/2007

जयपुर, दिनांक: **31 MAY 2017**


समस्त अतिरिक्त मुख्य सचिव/प्रमुख शासन सचिव/शासन सचिवगण
समस्त संभागीय आयुक्त/जिला कलक्टर।

॥ परिपत्र ॥

विषय:— दिनांक 15.06.2017 से उपार्जित/रूपान्तरित/मातृत्व/चाईल्ड केयर लीव/
पितृत्व अवकाश का आवेदन ऑन-लाईन करने के संबंध में।


कार्मिक (क-1) विभाग द्वारा दिनांक 07.11.2016 से ऑन-लाईन अवकाश आवेदन प्रस्तुत करने के निर्देश दिये गये थे। किन्तु लगभग 7 माह व्यतीत होने के उपरान्त भी आई.ए.एस. अधिकारियों द्वारा अवकाश आवेदन ऑन-लाईन प्रस्तुत नहीं किये जा रहे हैं, अवकाश आवेदन ऑफ-लाईन ही भिजवाये जा रहे हैं। कार्मिक (क-1) विभाग द्वारा यह निर्णय लिया गया है कि दिनांक 15.06.2017 के बाद किसी भी आई.ए.एस. अधिकारी द्वारा प्रस्तुत ऑफ-लाईन अवकाश आवेदन स्वीकार नहीं किया जाएगा।

अतः समस्त आई.ए.एस. अधिकारी दिनांक 15.06.2017 से अपने सभी अवकाश sso.rajasthan.gov.in से Login कर "राज-काज" (Raj e-Office) के माध्यम से प्रस्तुत करें।


(भास्कर ए. सावंत)
शासन सचिव

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:—

1. प्रमुख सचिव, मा0 मुख्यमंत्री महोदया, राजस्थान, जयपुर।
2. वरिष्ठ उप सचिव, मुख्य सचिव, राजस्थान, जयपुर।
3. रक्षित पत्रावली।


(अरविन्द पोसवाल)
संयुक्त शासन सचिव